<u>न्यायालयः द्वितीय् अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)</u> (समक्षः मोहम्मद अजहर)

नियमित व्यवहार अपील क.-26/16 प्रस्तृति/संस्थित दिनांक 20.09.16

> अनीश मोहम्मद पुत्र हसन मोहम्मद आयु 77 वर्ष निवासी कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

> > अपीलार्थी / वादी

<u>विरूद्ध</u>

- 1. प्रबंधक मर्केटिंग सोसायटी मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 2. म0प्र0 शासन द्वारा कलैक्ट, जिला भिण्ड म0प्र0 प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02, गोहद (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 42ए / 15 में घोषित निर्णय दिनांक 20.08.16 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थी द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता। प्रत्यर्थी कं0–01 द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी कमांक 02 द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर शासकीय अधिवक्ता।

<u> -: निर्णय :-</u>

.....

(आज दिनांक 26.09.17 को घोषित)

- 1. अपीलार्थी / वादी द्वारा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह अपील न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद कमांक 42ए / 15 उनवान अनीश मोहम्मद बनाम प्रबंधक मर्केटिंग सोसायटी एवं अन्य में ह गोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वादी अनीश मोहम्मद के द्वारा भूमि सर्वे कमांक 375 / 1 रकवा 0.19 हेक्टे0 स्थित कस्बा मौ तहसील गोहद के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्वत्व ह गोषणा एवं स्थाई निषेधाङ्मा के वाद को निरस्त कर दिया है।
- 2. अपीलार्थी / वादी के विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि भूमि सर्वे कमांक 375 रकवा 01 बीघा 05 बिस्वा स्थित कस्बा मौ वादी के पूर्वजों की खुदकाश्त की जागीरदारी की भूमि होकर कब्जा व बर्ताव में रही है। उक्त भूमि वादी की पूर्वज दादी मां मुसम्मात अब्बासी की जागीरदारी की जमींदारीकाल में रही है।

संवत् 2007 तक राजस्व अभिलेख में वादी के पूर्वजों का नाम मालिक के खाने में अंकित होकर चला आया है। संवत् 2007 के पश्चात जमींदारी समाप्त होने के बाद बिना किसी सूचना एवं मुनादी कराए वादी के पूर्वजों का नाम संवत् 2008 में मालिक के खाने से निरस्त करते हुए म0प्र0 शासन का नाम बिना किसी अधिकार के आवैधनिक रूप से अंकित कर दिया है। संवत् 2015 में उक्त भूमि का बटांकन होकर 375/1, 375/2, 375/3, 375/4 एवं 375/5 बनाए गए हैं, जिसमें सर्वे कमांक 375/1 रकवा 0.19 हेक्टे0 अर्थात 19 बिस्वा प्रकरण में विवादित है, जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा।

- 3. वादी का यह भी अभिवचन है कि विवादित भूमि का कुल क्षेत्रफल 21,375 वर्गफुट है जिसमें 450 वर्गफुट पर कच्ची मढ़ैया बनी हुई है एवं बाद में कमरे का निर्माण किया है। विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी कमांक 01 दिनांक 03.09.14 से निर्माण करने की धमकी दे रही है और उसने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। प्रतिवादीगण दिनांक 01.05.2015 से वादी के स्वत्व से इन्कार करने लगे हैं। उक्त आधारों पर विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित करने तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की सहायता की प्रार्थना की गई कि प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल न करें, कब्जा व बर्ताव में बाधा उत्पन्न न करें तथा निर्माण कार्य न करें।
- 4. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है और यह अभिवचन किए गए हैं कि विवादित भूमि म0प्र0 शासन द्वारा मार्केटिंग सोसायटी कस्बा मौ के गोदाम बनाने हेतु भूमि स्वामी स्वत्व पर धारित होकर शासकीय भूमि है। विवादित भूमि से वादी या वादी के पूर्वजों का कोई संबंध सरोकार व आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भूमि विधिवत् जमींदारी समाप्त होने के बाद वादी के पूर्वजों की जानकारी में शासन में वेष्टित हो गई है। विवादित भूमि म0प्र0 शासन के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर मार्केटिंग सोसायटी कस्बा मौ के गोदाम बनाने हेतु आरक्षित की गई है। 03.09.14 या 01.05.15 को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
- 5. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए जाकर साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निष्कर्ष निम्नानुसार दिए गए :--

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे कृमांक	अप्रमाणित
375 / 1क्षेत्रफल 0.19 स्थित कस्बा मौ,	A
परगना गोहद का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है	3
?	
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि	
में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से	
हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	
3. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित	अप्रमाणित ।
मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया	
गया है ?	
4. अंतिम निष्कर्ष एव व्यय ?	वाद निर्णय के पद कं0—16 के अनुसार
Lar Lar	अप्रमाणित पाए जाने से निरस्त किया गया।

- अपीलार्थी / प्रतिवादी की ओर से अपील में एवं अंतिम तर्क में प्रमुख अाधार यह लिए है कि वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा प्र0पी0–09 एवं प्र0पी0–05 संवत् 1999 तथा संवत् 2007 में वादी की दादी मु0 अब्बासी के नाम का इंद्राज है। उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया, उसका उचित समाधान प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकार संवत् 2007 में इंद्राज होते हुए भी वादी को भूमि स्वामी मान्य न करते हुए वाद निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल कारित की है। वादी ने अपने कथन में स्पष्ट कहा है कि मृ0 अब्बासी ने वादी के पिता हसन मोहम्मद को गोद लिया था। इस प्रकार वादी उसका उत्तराधिकारी है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित किया है कि वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि वह मु0 अब्बासी का उत्तराधिकारी है। 140 वर्ष पहले गोदनामे की लिखापढ़ी नहीं होती थी। इस कारण गोदनामे का दस्तावेज पेश किया जाना संभव नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान न देकर वैधानिक भूल कारित की है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.16 विधि के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों व रिकार्ड के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.16 को अपास्त करते हुए वादी को विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने तथा वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 7. प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया

गया है कि विवादित भूमि म0प्र0 शासन की है जो प्रतिवादी क्रमांक 01 को दी गई है। वादी उसका स्वामी और आधिपत्यधारी नहीं है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिकी पारित की गई है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 8. इस अपील के विधिवत निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:--
 - 1. क्या अपीलार्थी / वादी विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 375 / 1 रकवा 0.19 हेक्टे0 स्थित कस्बा मौ तहसील गोहद का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?
 - 2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि में वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
 - 3. क्या विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.16 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिकी में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

- 9. इस अपील में अपीलार्थी / वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ खसरा कस्बा मी परगना मेहगांव संवत् 2008, संवत् 2009, संवत् 2010 लगायत 2014, संवत् 2015 लगायत 2019 की प्रमाणित प्रतिलिपयां प्रस्तुत की गई हैं। उक्त आवेदन का सर्वप्रथम निराकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 10. अपीलार्थी / वादी की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि निर्णय के पश्चात उसने राजस्व कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। जिसमें यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि मु0 अब्बासी के पश्चात अपीलार्थी के पिता हसन मोहम्मद का नाम राजस्व कागजात में दर्ज किया गया है। अपील के निराकरण के पूर्व उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य किया जाना महत्वपूर्ण है। जिसके अभाव में प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। यदि उक्त दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रदर्श नहीं किया गया तो अपीलार्थी / वादी को असीम क्षति होगी तथा न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। उक्त आधारों पर उपरोक्त दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 11. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी कमांक 01 की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित नहीं है, लैकूना पूर्ति के लिए दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किए जा सकते हैं। वादी पूर्व में खसरों की नकलें

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुका है। उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर था। उसके बावजूद भी उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अपीलार्थी के पिता हसन मोहम्मद को मु0 अब्बासी ने गोद नहीं लिया था और न ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। उक्त आधारों पर आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 12. न्याय दृष्टांत मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य ए आई आर 2011 एस सी 559 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 41 नियम 27 जा०दी० के तहत अतिरिक्त साक्ष्य निम्न तीन परिस्थितियों में ली जा सकती है :—
 - 1. यद्यपि जो साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की अनुमित दी जाना चाहिये थी, विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से उक्त साक्ष्य को लेने से इंकार कर दिया गया हो।
 - 2. पक्षकारों के अथक परिश्रम के बावजूद भी उक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई थी।
 - 3. वह साक्ष्य जो अपील कोर्ट को निर्णय घोषित करने योग्य बनाती है और आवश्यक थी अर्थात इन्हीं प्रकार का कोई सारभूत कारण रहा हो।

अपील कोर्ट को लैकुना पूर्ति या केस के कमजोर बिन्दुओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लेना चाहिये। अपील कोर्ट को उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कंसीडर करना चाहिये एवं फैसला लेना चाहिये। वही दूसरी ओर उपरोक्त तथ्यों व निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये उसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुये अपील निराकृत करना चाहिये।

- 13. इस संबंध में अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया गया। इस मामले में प्रथम स्थिति होना प्रकट नहीं है कि विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से उक्त साक्ष्य को लेने से इन्कार कर दिया हो। इस मामले में द्वितीय स्थिति भी नहीं है कि पक्षकारों के अथक परिश्रम के बावजूद भी उक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई थी क्योंकि जिस तरह से वादी के द्वारा प्र0पी0—04 लगायत 09 के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं। उसी तरह से वह प्रश्नगत दस्तावेजों को प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता था। परंतु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार द्वितीय स्थिति भी प्रकट नहीं है।
- 14. तृतीय स्थिति यह है कि अपील न्यायालय को निर्णय घोषित करने योग्य बनाती है और उक्त साक्ष्य आवश्यक थी, इस दृष्टि से यदि प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया जाए तब प्रकट है कि वादी की ओर से सर्वे क्रमांक 226, 611, 670,

915, 917, 918, 920 से संबंधित खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं। जबिक विवादित भूमि सर्वे कमांक 375/01 है अथवा उसे संपूर्ण 375 नंबर भी माना जा सकता है कि उक्त संपूर्ण रकवा मु0 अब्बासी की थी जो प्र0पी0—05 एवं 06 की खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, वह संवत् 2007 एवं 2008 की हैं। अपीलार्थी की ओर से भी संवत् 2008 की उपरोक्त खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नंबर सर्वे कमांक 375 के पूर्व के सर्वे नंबर नहीं है और यह सर्वे नंबर अलग है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त सर्वे नंबर प्रथम दृष्टि में विवादित सर्वे नंबर की भूमि से असंबंधित होना प्रकट है।

- 15. अपीलार्थी की ओर से इन खसरों के माध्यम से यह आधार लिए जा रहे हैं कि पूर्व में मु0 अब्बासी का नाम उक्त भूमियों पर दर्ज था और उसके बाद हसन मोहम्मद का नाम दर्ज हुआ है। संवत् 2008 अर्थात सन् 1951—52 में उक्त भूमियों में सर्वे कमांक 226, 915, 917, 918, 920 पर मु0 अब्बासी बेवा नजर मोहम्मद का नाम पक्के कृषक के रूप में लिखा हुआ है। अन्य सर्वे कमांक पर किसी हिदायत मोहम्मद आदि बशरह सर्वे कमांक 248 लिखा हुआ है। परंतु सर्वे कमांक 248 के संबंध में अपीलार्थी की ओर से तथ्य को छिपा लिया गया है और दस्तावेज पेश नहीं किया है।
- 16. संवत् 2010 से संवत् 2014 तक के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि में हसन मोहम्मद बल्द आशिक मोहम्मद हिस्सा 1/2 एवं मु0 हफीजन दुख्तर मु0 अब्बासी हिस्सा 1/2 दर्ज है। यही स्थिति सर्वे कमांक 915, 917, 918 एवं 920 में हुई है और यही नाम संवत् 2015 लगायत संवत् 2019 तक चला है। स्पष्ट है कि मु0 अब्बासी के पश्चात हसन मोहम्मद व हफीजन का आधे—आधे हिस्से पर नाम दर्ज हुआ है। हफीजन को अब्बासी की पुत्री होना बताया है। जबिक वादी का यह वाद है कि हसन मोहम्मद, मु0 अब्बासी का उत्तराधिकारी था अर्थात यह साक्ष्य प्रस्तुत की गई है कि हसन मोहम्मद को गोद लिया गया था। परंतु मुस्लिम विधि में गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं है और वह पुत्र के रूप में नहीं हो सकता है।
- 17. यह अलग तथ्य है कि सम्पत्ति को किसी व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाए या उसके पक्ष में अपने हकों को त्याग दिया जाए तथा किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी गई हो या उसके पक्ष में हक त्याग दिया गया हो तो अन्य व्यक्ति उक्त विशिष्ट भूमि के संबंध में ही स्वामी होगा, सभी सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी या स्वामी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की साक्ष्य का निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं है और वह न्यायालय को प्रभावी निर्णय घोषित करने योग्य नहीं बनाती है और न ही आवश्यक है। प्रकरण

के न्यायोचित निराकरण के लिए इन दस्तावेजों का कोई प्रभाव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन निरस्त किया गया।

विचारणीय बिन्दू कमांक-01

- 18. वादी ने इस आधार पर वाद प्रस्तुत किया है कि वह विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादी की ओर से प्र0पी0—04, प्र0पी0—05, प्र0पी0—07, प्र0पी0—08, प्र0पी0—09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं। प्र0पी0—09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 375, 1 बीघा 5 बिस्वा पर मु0 अब्बासी वगैरह के नाम का भूमि स्वामी के रूप में इंद्राज है। संवत् 2007 में भी उक्त भूमि पर मु0 अब्बासी वगैरह के नाम का इंद्राज है। उसके पश्चात प्र0पी0—06 के खसरे के अनुसार संवत् 2008 में मध्यभारत शासन के नाम का इंद्राज हो गया है। जिससे कि यह प्रकट होता है कि पूर्व में भूमि मु0 अब्बासी वगैरह के नाम दर्ज की गई है।
- 19. संवत् 1999 के उक्त खसरे प्र0पी0—09 में जो इंद्राज है, वह इस प्रकार है "
 मुसम्मात अब्बासी वगैरह बशरह नंबर 01" जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि
 नंबर 01 के इंद्राज की तरह ही इस खसरे में भी नाम का इंद्राज है। परंतु वादी की
 ओर से वह खसरा पेश नहीं किया गया है और न ही तलब कराया गया है कि
 जिसमें नंबर 01 पर मु0 अब्बासी वगैरह के नाम का इंद्राज हो जिससे कि उक्त
 परिवार का और खुलासा हो पाता। इसका प्रतिकूल आशय ही लगाया जाएगा कि
 वादी की ओर से तथ्यों को छिपाया गया है। संवत् 2008 अर्थात 1951 में मु0
 अब्बासी वगैरह के नाम के स्थान पर मध्यभारत शासन के नाम का इंद्राज हुआ
 है। यह वह समय था जब जागीरदारी समाप्त हुई थी और भूमि के संबंध में विधियां
 बन रही थीं। मु0 अब्बासी या उसके परिवार की ओर से या उसके वारिसान की ओर
 से उसका नाम हटने पर मध्यभारत शासन के नाम का इंद्राज होने के संबंध में कोई
 आपत्ति होना प्रकट नहीं है। इस संबंध में वर्तमान तक अर्थात 60—65 वर्षों तक कोई
 कार्यवाही की गई हो, ऐसा प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में संवत् 2008 और उसके
 पश्चात इंद्राज के आधार पर म0प्र0 शासन ही उक्त भूमि का स्वामी होना प्रकट होता
 है।
- 20. वादी की ओर से एक आधार यह भी लिया गया है कि उसके पिता हसन मोहम्मद को मु0 अब्बासी के द्वारा गोद लिया गया था। वादी के ही साक्षी अशरफ अली वा0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह व्यक्त किया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज एवं राशनकार्ड आदि नहीं देखा जिसमें हसन मोहम्मद का नाम मु0

अब्बासी के उत्तराधिकारी के रूप में अंकित हो। वादी की ओर से अपने पिता को गोद लिया जाना बताया है, यदि वास्तव में गोद लिया गया होता तो हसन मोहम्मद का नाम कहीं न कहीं अवश्य लिखा होता। ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है।

- 21. इमामी शाह वा०सा०-03 प्रतिपरीक्षण के पैरा-03 में यह कहता है कि जब मु0 अब्बासी ने हसन मोहम्मद को गोद लिया था उस समय वादी अनीश लगभग 15-16 साल का था। उस समय हसन मोहम्मद की आयु 50-60 साल की थी। यह पूर्णतः हास्यास्पद और आप्रकृतिक और स्वाभाविक तथ्य है कि 50-60 साल के व्यक्ति को गोद लिया जावे। ऐसी स्थिति में संभावनाओं की प्रबलता वादी के ही विरूद्ध चली जाती है, तब उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वादी ने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित होता हो कि वह मु0 अब्बासी का उत्तराधिकारी है, अभिलेख के अवलोकन से भी ऐसा दर्शित नहीं है। वादी के पिता को मु0 अब्बासी के द्वारा गोद लिया गया था। वैसे भी मुस्लिम विधि में गोद लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा गोद लिए जाने पर गोद में जाने वाले व्यक्ति को गोद लेने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।
- 22. जहां तक कि आधिपत्य का प्रश्न है, अशरफ अली वा०सा0-02 ने यह बताया है कि उसने मु0 अब्बासी को आखिरी बार विवादित भूमि पर खेती करते हुए वर्ष 1947 से पहले देखा था। जिसका अर्थ यह निकलता है कि 78 वर्ष की आयु के इस व्यक्ति ने लगभग 8-9 वर्ष की आयु में मु0 अब्बासी को खेती करते देखा था। इमामी शाह वा०सा0-03 ने पैरा-03 में यह बताया है कि मु0 अब्बासी को खत्म हुए लगभग 20-25 साल हो गए है। उसने यह भी बताया है कि जब हसन मोहम्मद को गोद लिया गया था तब अनीश लगभग 15-16 साल का था।
- 23. अनीश की आयु वर्तमान में 76 साल की बताई गई है अर्थात लगभग 60 वर्ष पूर्व सन् 1956 में हसन मोहम्मद को गोद लिया गया था। इमामी शाह वा०सा०-03 यह बताता है कि गोद लेने के 10-15 साल बाद हसन मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। उसके अनुसार हसन मोहम्मद की मृत्यु 1966 से लेकर 1971 तक की अविध में होना प्रकट होती है। जबिक अशरफ अली वा०सा०-02 प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह कहता है कि हसन मोहम्मद आज से लगभग 10-15 साल पहले मर गए थे। उसके हिसाब से हसन मोहम्मद की मृत्यु सन् 2000 या 2001 के लगभग होना प्रकट होती है। इस प्रकार 1966 और वर्ष 2000 में काफी अंतर है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-09 में यह मान्य किए जाने में

कोई भूल कारित नहीं की है कि वादी और उसके साक्षियों की साक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। वास्तव में वादी और उसके साक्षियों की साक्ष्य पूर्णतः असत्य होना प्रकट होती है।

24. वादी के द्वारा केवल मौखिक रूप से यह कहा गया है कि विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है। परंतु इस संबंध में खसरा इंद्राज या अन्य कोई भी दस्तावेज वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य होना प्रकट नहीं होता है। तब निर्णय के पैरा—11 एवं 13 में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत् होना प्रकट होता है कि वादी स्वयं को विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रमाणित करने में असफल रहा है। वादी की सूपर्ण साक्ष्य में अर्थात मुख्यपरीक्षण में ऐसा कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया है कि वह विवादित भूमि का स्वामी है या विवादित भूमि उसके स्वत्व की है। अतः यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी/वादी विवादित भूमि सर्वे कमांक 375/1 रकवा 0.19 हेक्टे0 स्थित कस्बा मौ तहसील गोहद का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

विचारणीय बिन्द् कमांक-02

25. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वादी विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। तब ऐसी स्थिति में उसके आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप आदि किया जाना भी प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण / अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधि सम्मत होना प्रकट होता है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि में वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया या हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं।

विचारणीय बिन्दु कमांक-03

- 26. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत् अवलोकन कर, साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए, प्रस्तुत दस्तावेजों को विचार में लेते हुए वादप्रश्न कमांक 01 एव 02 पर जो निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.16 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा वादी द्वारा भूमि सर्वे कमांक 375/1 रकवा 0.19 हैक्टे0 सिथत कस्बा मौ तहसील गोहद के संबंध में प्रस्तुत किए गए स्वत्व घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त किए जाने की जो डिकी दी गई है, वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है।
- 27. तद्नुसार अपीलार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर

विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व डिकी दिनांक 20.08.16 की पुष्टि की जाती है

28. उभयपक्ष इस अपील का व्यय अपना—अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1000/-रूपए लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार डिकी तैयार की जावे।

29. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

